कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून - 248195

सं. : स्था.नि./प्रतिवेदन संख्या-109/2017-18/

दिनांक : /01/2018

सेवा में,

अ धशासी अ धकारी,
नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम जौंक
जनपद- पौड़ी गढ़वाल
उत्तराखण्ड

वषय : नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम जौंक जनपद- पौड़ी गढ़वाल का वर्ष 2015-16 से 2016-17 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रे षत कर यह अवगत कराना है क प्रतिवेदन के भाग-2(अ) मे शून्य प्रस्तर, भाग- 2(ब) में 03 प्रस्तर एंव STAN में शून्य प्रस्तर हैं, इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वा षक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मि लत कया जाना सम्भा वत है। भाग- 2(ब) के सभी प्रस्तरों की प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अ धकारी के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है क उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रे षत करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1 प्रतिवेदन की प्रति
2. प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय,

वरि. लेखापरीक्षा अ धकारी/स्थानीय निकाय

सं0 स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या 109/2017-18/ दिनांक : /01/2018

प्रति ल प निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रे षत :

1- निदेशक, शहरी वकास निदेशालय उत्तराखण्ड, 31/62 निकट राजपुर रोड़ साईं इंस्टीट्यूट के पास, देहरादून
2- निदेशालय, लेखापरीक्षा (आ डट) निदेशालय, द् वतीय-तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पन कोडः 248005

वरि. लेखापरीक्षा अ धकारी/स्थानीय निकाय

<u>भाग-I</u>

1. **<u>परिचयात्मकः</u>** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री के.एस.चौहान, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा श्री विशाल कुमार गुप्त, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक **01.09.2015** से **07.09.2015** तक संपादित की गयी थी जिसमें **2013-14** से **2014-15** तक के लेखा-अभिलेखों की जांच की गयी थी।

2. **<u>इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र</u>**:-

(i) भौगोलिक क्षेत्र: **08 वर्ग कि.मी.**

(ii) जनसंख्या: **4,669**

(iii) निर्वाचित सदस्यों की संख्या: **04**

(iv) नगर पालिका परिषद द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या: **06**

(v) उपसमितियों, स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठकों की संख्या: **शून्य**

(vi) कर्मचारियों की संख्या: **नियमित – शून्य, दैनिक/संविदा पर – 16**

(vii) नगर पालिका परिषद की संपत्तियाँ: **01 कार्यालय भवन |**

(viii) नगर पालिका परिषद के अपने प्रोजेक्ट: **कोई नहीं**

(ix) योजनाओं की संख्या: **आय-व्यय विवरण के अनुसार**

(x) (अ) सामाजिक संरक्षा:

(ब) रोजगार सृजन से संबन्धित:

(स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गई योजनायें:

(द) लाभार्थियों की संख्या:

(xi) वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि: **आय-व्यय विवरण के अनुसार**

(xii) वर्ष के दौरान कुल व्यय

(अ) सामान्य :

(ब) योजनाओं पर (प्रत्येक योजना का अलग-अलग दर्शाया जाय) एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये | : **आय-व्यय विवरण के अनुसार**

(xiii) क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया: **हाँ**

भाग-I. 2(ii)(अ)										
कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत स्वर्गाश्रम जौंक, जनपद-पौड़ी गढ़वाल को विगत तीन वर्षों के दौरान बजट आवंटन एवं व्यय का विवरण										
समस्त धनराशि (`) में										
वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**		**स्थापना (NP)**		**गैर स्थापना (P)**		**अवशेष**			
							स्थापना (NP)		**गैर स्थापना (P)**	
	स्थापना (NP)	**गैर स्थापना (P)**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**	**आधिक्य (+)**	**बचत (-)**	**आधिक्य (+)**	**बचत (-)**
2014-15	150477	1563000	2039113	1677528	2811000	115000	0	512062	0	4259000
2015-16	512062	4259000	1465474	1945278	20278000	7003643	0	32258	0	17533357
2016-17	32258	17533357	2271133	2056967	2430260	12540011	0	246424	0	7423606
कुल योग			**5775720**	**5679773**	**25519260**	**19658654**				

भाग-I. 2(ii)(अ)						
कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत स्वर्गाश्रम जौंक, जनपद-पौड़ी गढ़वाल का वर्ष 2014-15 का आय-व्यय विवरण						
क्र.सं.	**मद का नाम**	**पूर्व वर्ष का अवशेष**	**वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ**	**कुल प्राप्तियाँ**	**वर्ष के दौरान व्यय**	**अन्तिम अवशेष**
1	केन्द्रीय वित्त आयोग	0	0	0	0	0
2	राज्य वित्त आयोग	0	1047000	1047000	1007382	39618
3	अवस्थापना विकास निधि	0	2811000	2811000	0	2811000
4	स्वच्छ भारत मिशन	0	0	0	0	0
5	चारधाम यात्रा मद	0	0	0	0	0
6	अर्धकुम्भ मेला 2016	0	0	0	0	0
7	स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना	115000	0	115000	115000	0
8	विशेष योजना - ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन	1448000	0	1448000	0	1448000
9	जनगणना अनुदान	0	0	0	0	0
10	निकाय निधि (ब्याज एवं अमानत सहित)	150477	992113	1142590	670146	472444
	कुल योग	**1713477**	**4850113**	**6563590**	**1792528**	**4771062**
--						

कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत स्वर्गाश्रम जौंक, जनपद-पौड़ी गढ़वाल का वर्ष 2015-16 का आय-व्यय विवरण

क्र.सं.	मद का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
1	केन्द्रीय वित्त आयोग	0	0	0	0	0
2	राज्य वित्त आयोग	39618	880000	919618	919618	0
3	अवस्थापना विकास निधि	2811000	3715000	6526000	2276895	4249105
4	स्वच्छ भारत मिशन	0	0	0	0	0
5	चारधाम यात्रा मद	0	100000	100000	100000	0
6	अर्धकुम्भ मेला 2016	0	16463000	16463000	4626748	11836252
7	स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना	0	0	0	0	0
8	विशेष योजना - ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन	1448000	0	1448000	0	1448000
9	जनगणना अनुदान	0	0	0	0	0
10	निकाय निधि (ब्याज एवं अमानत सहित)	472444	585474	1057918	1025660	32258
	कुल योग	**4771062**	**21743474**	**26514536**	**8948921**	**17565615**

कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत स्वर्गाश्रम जौंक, जनपद-पौड़ी गढ़वाल का वर्ष 2016-17 का आय-व्यय विवरण						
क्र.सं.	**मद का नाम**	**पूर्व वर्ष का अवशेष**	**वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ**	**कुल प्राप्तियाँ**	**वर्ष के दौरान व्यय**	**अन्तिम अवशेष**
1	केन्द्रीय वित्त आयोग	0	660000	660000	440000	220000
2	राज्य वित्त आयोग	0	880000	880000	880000	0
3	अवस्थापना विकास निधि	4249105	0	4249105	0	4249105
4	स्वच्छ भारत मिशन	0	12500	12500	12500	0
5	चारधाम यात्रा मद	0	0	0	0	0
6	अर्धकुम्भ मेला 2016	11836252	1738260	13574512	12068011	1506501
7	स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना	0	0	0	0	0
8	विशेष योजना - ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन	1448000	0	1448000	0	1448000
9	जनगणना अनुदान	0	19500	19500	19500	0
10	निकाय निधि (ब्याज एवं अमानत सहित)	32258	1391133	1423391	1176967	246424
	कुल योग	**17565615**	**4701393**	**22267008**	**14596978**	**7670030**

लेखाओं पर टिप्पणी:-						
(i) वर्ष के अंत में बड़ी धनराशि बची हुई है अर्थात योजनाओं का कृयान्वन सही ढंग से नहीं हो रहा है।						
(ii) लेखाओं का रख-रखाव भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित प्रारूप में नहीं किया जा रहा है।						

भाग-I. 2(ii)(स)						
कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत स्वर्गाश्रम जौंक, जनपद-पौड़ी गढ़वाल का केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय का विवरण						
वर्ष	**योजना का नाम**	**पूर्व वर्ष का अवशेष**	**वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ**	**कुल प्राप्तियाँ**	**वर्ष के दौरान व्यय**	**अन्तिम अवशेष**
2014-15	केन्द्रीय वित्त आयोग	0	0	0	0	0
2015-16	केन्द्रीय वित्त आयोग	0	0	0	0	0
2016-17	केन्द्रीय वित्त आयोग	0	660000	660000	440000	220000
2014-15	स्वच्छ भारत मिशन	0	0	0	0	0
2015-16	स्वच्छ भारत मिशन	0	0	0	0	0
2016-17	स्वच्छ भारत मिशन	0	12500	12500	12500	0
--						

<u>भाग II-'ब'</u>

प्रस्तर 01: निर्माण कार्यों के सापेक्ष रॉयल्टी की कटौती न करने के कारण `45,470/- के राजस्व की हानि |

उत्तराखण्ड शासन, औद्यौगिक विकास अनुभाग-2 के पत्रांक संख्या 162/VII-II-13/24-ख/2007 दिनांक 18.01.2013 तथा उत्तराखण्ड शासन, औद्यौगिक विकास अनुभाग-1 के पत्रांक संख्या 842/VII-1/2016/24-ख/2007 दिनांक 19.05.2016 के अनुसार निर्माण कार्यों में नदी तल अथवा भिन्न स्थानों से ली जाने वाली निर्माण सामग्री की स्वामित्व (रायल्टी) की कटौती करके नियमानुसार संम्बन्धित लेखा शीर्ष (085300104000000) में जमा कराई जानी चाहिए ।

कार्यालय नगर पंचायत स्वर्गाश्रम जौंक, जनपद-पौड़ी गढ़वाल के नमूना लेखापरीक्षा हेतु चयनित निर्माण कार्यों की जाँच में पाया गया कि इकाई द्वारा कराये गए निर्माण कार्यों की पत्रावलियों में न तो उपखनिजों के क्रय सम्बन्धी बिल/बाउचर लगाए गए थे ओर न ही उपयोग किए गए उपखनिजों के सापेक्ष इकाई द्वारा रॉयल्टी की कोई कटौती करके राजकोष में जमा की गई थी |

निर्माण कार्यों की पत्रावलियों की जाँच में आगे पाया गया कि इकाई के विभागीय अभियन्ता द्वारा की गई रॉयल्टी की गणना के अनुसार इकाई द्वारा संलग्नक के अनुसार 05 निर्माण कार्यों के सापेक्ष **`45,470/-** की रॉयल्टी की कटौती करके राजकोष में जमा कराई जानी थी परन्तु इकाई द्वारा रॉयल्टी की कोई भी धनराशि राजकोष में जमा नहीं कराई गई |

इसे इंगित किए जाने पर, तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि ठेकेदारों द्वारा उपरोक्त निर्माण कार्यों हेतु निर्माण सामग्री का प्रयोग नदी तल से किया गया है | इकाई ने आगे बताया कि शासनादेशों की जानकारी के अभाव में रॉयल्टी की कटौती नहीं की गई थी | इकाई ने बताया कि रॉयल्टी की धनराशि **`45,470/-** को ठेकेदारों से वसूलने के पश्चात राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी |

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निर्माण कार्यों के बिलों का भुगतान करते समय ही रॉयल्टी की सम्पूर्ण धनराशि की कटौती कर राजकोष के संबन्धित लेखाशीर्ष में जमा कराई जानी चाहिए थी | इकाई द्वारा निर्माण कार्यों के बिलों से रॉयल्टी की धनराशि की कटौती न करने के कारण **`45,470/-** के राजस्व की हानि हुई है |

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है |

नगर पंचायत स्वर्गाश्रम जौंक, जनपद-पौड़ी गढ़वाल द्वारा निर्माण कार्यों के सापेक्ष रॉयल्टी की कटौती न किये जाने का विवरण								
(लेखापरीक्षा अवधि: 2015-16 से 2016-17 तक)								
क्र.सं.	**वित्तीय वर्ष**	**निधि का नाम**	**ठेकेदार का नाम**	**कार्य का नाम**	**कार्य के सापेक्ष किए गए भुगतान की धनराशि**	**रॉयल्टी की धनराशि की कटौती**		
						जो की जानी थी	**जो की गई**	**अन्तर**
1	2015-16	अ.वि.निधि	मै. हिमालय इलेक्ट्रिकल्स एण्ड सिविल इंजी. वर्क्स ऋषिकेश	गीता भवन गेट नं. 03 के समीप से गेट नं. 05 तक सी सी सड़क का निर्माण कार्य	809832	16574	0	16574
2	2015-16	अ.वि.निधि	मै. हिमालय इलेक्ट्रिकल्स एण्ड सिविल इंजी. वर्क्स ऋषिकेश	सारिका होम लॉज से श्री मोहन राणा के मकान तक सी सी सड़क का निर्माण कार्य	199813	3615	0	3615
3	2015-16	अ.वि.निधि	श्री विष्णु दत्त वर्मा	होटल राजदीप से श्री नारायण रावत के मकान होते हुए होटल नारायण कूँज तक सी सी सड़क का निर्माण कार्य	311592	5984	0	5984
4	2015-16	अ.वि.निधि	श्री प्रदीप बड़ोला	धर्मयात्री निवास से दिव्या होटल, शीला मोहन होटल होते हुए मुख्य मार्ग तक सी सी सड़क का निर्माण	396131	6691	0	6691
5	2015-16	अ.वि.निधि	श्री विष्णु दत्त वर्मा	गौशाला गेट से पोस्ट ऑफिस होते हुए स्टेट बैंक से ए.टी.एम. तक सी सी सड़क का निर्माण कार्य	825979	12606	0	12606
				कुल योग	**2543347**	**45470**	**0**	**45470**

<u>भाग II-'ब'</u>

प्रस्तर 02: इकाई द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों की लागत में 1% उपकर (लेबर सेस) का प्रावधान न किया जाना तथा निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतानों से `25,433/- के लेबर सेस की कटौती करके राजकोष में जमा न कराया जाना ।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 एवं भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली, 1998 के प्रभावी क्रियान्वन के सम्बंध में उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक संख्या 740/VIII/14-680(श्रम)/2002टी.सी.-II दिनांकित 13 अगस्त 2014 के अनुसार, विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों में नियोजित श्रमिकों के कल्याण हेतु भारत सरकार द्वारा दो अधिनियम - भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 एवं भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली, 1998 के अन्तर्गत अधिनियमित किए गए हैं, जिनमें निर्माण श्रमिकों के पंजीयन के उपरान्त उन्हें विभिन्न हितकारी योजनाओं यथा-पेंशन, दुर्घटना मुआवजा, मृत्योपरान्त सहायता, चिकित्सा सहायता, बच्चों की शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता, मातृत्व हितलाभ, पुत्री के विवाह हेतु आर्थिक सहायता, टूल किट के रूप में सहायता आदि द्वारा लाभान्वित किये जाने हेतु प्रावधान निहित किये गये हैं | उक्त अधिनियम में पंजीकृत श्रमिकों के कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन की व्यवस्था हेतु निर्माण अधिसठानों द्वारा अपने निर्माण कार्य की लागत का **1% उपकर** के रूप में कल्याण बोर्ड की निधि में जमा किए जाने का प्रावधान निहित है | "

इसी दृष्टि से शासन के श्रम एवं सेवायोजन अनुभाग द्वारा अधिसूचना संख्या : 474(2)/VIII/12-35(श्रम)/2011 दिनांक 17.05.2012 जारी करते हुए नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों को उपकर निर्धारण एवं संग्रहण हेतु उपकर निर्धारण एवं संग्रहण अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है | सरकारी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबन्धित निर्माण कार्यों की दशा में उपकर का भुगतान ऐसे कार्यों के बिलों से कटौती करके किए जाने का प्रावधान है | इस संबंध में निर्माण कार्य की लागत का 1% उपकर का भी प्रावधान निर्माण कार्यों के बजट में किए जाने की आवश्यकता है |

नगर पंचायत स्वर्गाश्रम जौंक, जनपद-पौड़ी गढ़वाल के चयनित निर्माण कार्यों की जाँच (दिसम्बर-2017) में पाया गया कि इकाई द्वारा निर्माण कार्यों के आगणनों में **1% उपकर (लेबर सेस)** का प्रावधान नहीं किया गया | चयनित निर्माण कार्यों की जाँच में आगे पाया गया कि इकाई द्वारा संलग्नक के अनुसार **05** निर्माण कार्यों के सापेक्ष **`25,43,347/-** की धनराशि का भुगतान किया गया | इकाई द्वारा इन निर्माण कार्यों से **1% उपकर (लेबर सेस)** के रूप में **`25,433/-** की धनराशि की कटौती करके संम्बन्धित लेखा शीर्ष (023000106000000) में जमा कराई जानी चाहिए थी परन्तु इकाई द्वारा इन निर्माण कार्यों के सापेक्ष किए गए भुगतानों में से **उपकर (लेबर सेस)** की कटौती करके राजकोष में जमा नहीं कराई गई |

इसे इंगित किए जाने पर तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि शासनादेशों की जानकारी के अभाव में उक्त कार्यों पर 1% लेबर सेस नहीं काटा जा सका | इकाई ने आगे बताया कि संलग्नक में लिखित निर्माण कार्यों के सापेक्ष **`25,433/-** की वसूली संबन्धित ठेकेदारों से करने के उपरान्त राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी |

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक संख्या 740/VIII/14-680(श्रम)/2002टी.सी.-II दिनांकित 13 अगस्त 2014 को शासन द्वारा समस्त अधिशासी अधिकारियों को प्रेषित किया गया था | उपरोक्त शासनादेश के अनुपालन में इकाई द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों के आगणनों में **1% उपकर (लेबर सेस)** का प्रावधान किया जाना चाहिए था तथा निर्माण कार्यों के बिलों से भुगतान के समय **1% उपकर (लेबर सेस)** की कटौती करके राजकोष में जमा कराई जानी चाहिए थी |

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है |

नगर पंचायत स्वर्गाश्रम जौंक, जनपद-पौड़ी गढ़वाल द्वारा निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतानों से लेबर सेस की कटौती न किए जाने का विवरण (लेखापरीक्षा अवधि: 2015-16 से 2016-17 तक)

क्रं.सं.	वित्तीय वर्ष	निधि का नाम	ठेकेदार का नाम	कार्य का नाम	कार्य के सापेक्ष किए गए भुगतान की धनराशि	लेबर सेस की कटौती		
						जो की जानी थी (@1%)	जो की गई	अन्तर
1	2015-16	अ.वि.निधि	मै. हिमालय इलेक्ट्रिकल्स एण्ड सिविल इंजी. वर्क्स ऋषिकेश	गीता भवन गेट नं. 03 के समीप से गेट नं. 05 तक सी सी सड़क का निर्माण कार्य	809832	8098	0	8098
2	2015-16	अ.वि.निधि	मै. हिमालय इलेक्ट्रिकल्स एण्ड सिविल इंजी. वर्क्स ऋषिकेश	सारिका होम लॉज से श्री मोहन राणा के मकान तक सी सी सड़क का निर्माण कार्य	199813	1998	0	1998
3	2015-16	अ.वि.निधि	श्री विष्णु दत्त वर्मा	होटल राजदीप से श्री नारायण रावत के मकान होते हुए होटल नारायण कूँज तक सी सी सड़क का निर्माण कार्य	311592	3116	0	3116
4	2015-16	अ.वि.निधि	श्री प्रदीप बड़ोला	धर्मयात्री निवास से दिव्या होटल, शीला मोहन होटल होते हुए मुख्य मार्ग तक सी सी सड़क का निर्माण	396131	3961	0	3961
5	2015-16	अ.वि.निधि	श्री विष्णु दत्त वर्मा	गौशाला गेट से पोस्ट ऑफिस होते हुए स्टेट बैंक से ए.टी.एम. तक सी सी सड़क का निर्माण कार्य	825979	8260	0	8260
				कुल योग	**2543347**	**25433**	**0**	**25433**

भाग दो - (ब)

प्रस्तर 3 : अर्धकुंभ मेला 2016 की अवशेष धनराशि `13.67 लाखका बैंक खाते में लंबित पड़ा रहना।

नगर पंचायत स्वर्गाश्रम-जौंक के अर्द्धकुम्भ-2016 से संबन्धित पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि नगर पंचायत क्षेत्र में जनवरी से अप्रैल 2016 तक अर्द्धकुंभ मेला 2016 का आयोजन किया गया था जिसके लिए शासन द्वारा नगर पंचायत क्षेत्र में सी.सी. मार्ग एवं पथ प्रकाश, सफाई व्यवस्था/ठोष अपशिष्ट प्रबंधन हेतु निम्नांकित धनराशि स्वीकृत/अवमुक्त की गयी थी: -

क्रमांक	शासनादेश संख्या	कार्य का नाम	स्वीकृत धनराशि (`लाख में)	अवमुक्त धनराशि		
				1st किस्त	2nd किस्त	कुल अवमुक्त धनराशि
1.	1268/IV-3/2015-04(72)/2015 दिनांकित 23/09/15	सी.सी. मार्ग एवं पथ प्रकाश व्यवस्था	42.11	2949000	878560	3827560
2.	2004/IV-3/2015-04(119)/2015 दिनांकित 23/09/15	सफाई व्यवस्था एवं ठोष अपशिष्ट प्रबंधन	149.06	13514000	859700	14373700
			कुल योग =	**16463000**	**1738260**	**18201260**

आगे नगर पंचायत की अर्द्धकुम्भ मेला -2016 से संबन्धित पत्रावलियों की लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा मेला संबन्धित सभी कार्यों/ दायित्वों के देयकों के भुगतान करने के उपरांत लेखापरीक्षा तिथि (दिसंबर 2017) तक उक्त खाते में ब्याज सहित `**1366531.60**धनराशि अवशेष पड़ी थी।मेला समापन के एक वर्ष से भी अधिक समय बीत जाने के उपरांत भीउक्त धनराशि बैंक खाते में लंबित पड़ी थी तथा इकाई के पास अवशेष धनराशि हेतु कोई स्वीकृत कार्य योजना भी उपलब्ध नहीं थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुये अपने उत्तर में बताया गया कि शासन से दिशा-निर्देश प्राप्त कर धनराशि वापस किए जाने की कार्यवाही की जाएगी।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उक्त धनराशि बैंक खाते में लंबित पड़ी थी जिसके लिए इकाई के पास कोई स्वीकृत कार्य योजना उपलब्ध भी नहीं थी।

अतः अर्द्धकुंभ मेला 2016 के अवशेष धनराशि `13.67 लाख का बैंक खाते में लंबित पड़े रहने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

(क) परिचयात्मक : कार्यालय **अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत स्वर्गाश्रम जौंक, जनपद- पौड़ी गढ़वाल** के लेखा/अभिलेखों की वित्तीय वर्ष **2015-16** से **2016-17** तक की संप्रेक्षा श्री नित्यानन्द सिंह, स.ले.प.अ. तथा श्री लक्ष्मण सिंह, व.ले.प. द्वारा दिनांक **27 दिसम्बर 2017** से **30 दिसम्बर 2017** तक संपादित की गयी |

(ख) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब ' प्रस्तर संख्या	STAN प्रस्तर संख्या
स्था.नि./प्रतिवेदन संख्या-08/2015-16	शून्य	प्रस्तर संख्या 01 से 03	शून्य

(ग) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
स्था.नि./प्रतिवेदन संख्या-08/2015-16	**भाग 4 (ब) – दो प्रस्तर संख्या 1** : भवन कर का मूल्यांकन एवं कर अधिरोपण न करने के कारण नगर पंचायत को कर वसूली के रूप में राजस्व की हानि|	नगर पंचायत द्वारा भवन कर की उपविधि बना ली गई है | बोर्ड से प्रस्ताव पारित कर सर्वेक्षण उपरान्त भवन कर का निर्धारण कर लिया गया है | नगर पंचायत द्वारा वर्तमान में भवन कर की वसूली की जा रही है | साक्ष्य स्वरूप उपविधि, बोर्ड प्रस्ताव एवं वसूले गये भवन कर की रशीदों की प्रतिलिपियाँ प्रस्तुत |	इकाई द्वारा उपलब्ध कराये गए साक्ष्यों/अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि इकाई द्वारा गृह कर हेतु उपविधि बना ली गई है तथा नगर पंचायत क्षेत्र में स्थित आवासों का गृहकर हेतु मूल्यांकन कर गृहकर की वसूली की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।	उक्त प्रस्तर को इकाई द्वारा उपलब्ध कराये गए साक्ष्यों/अभिलेखों के आधार पर निस्तारित किए जाने की संस्तुति की जाती है |

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य (यदि कोई हों) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये हैं, उनका वर्णन किया जाय)

सामान्य

<u>भाग – V</u>
<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत स्वर्गाश्रम जौंक, जनपद-पौड़ी गढ़वाल** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है | तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:-

(i)
(ii) } **शून्य**

2. सतत अनियमितताएँ**:** **शून्य**

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:-

क्रं.सं.	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
01.	श्री बद्री प्रसाद भट्ट	अधिशासी अधिकारी	21.08.14 से 05.01.16 तक
02.	श्री श्रेष्ठ गुनसोला	तहसीलदार/प्रभारी अधिशासी अधिकारी	06.01.16 से 22.05.16 तक
03.	श्री राधेश्याम छाछर	प्रभारी अधिशासी अधिकारी	23.05.16 से 08.09.17 तक
04.	श्री राजेन्द्र प्रसाद जखमोला	तहसीलदार/प्रभारी अधिशासी अधिकारी	09.09.17 से वर्तमान तक
05.	श्रीमती शकुन्तला देवी	अध्यक्षा	04.05.13 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएँ जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत स्वर्गाश्रम जौंक, जनपद-पौड़ी गढ़वाल** को पत्रांक संख्या स्था.नि./ले.प./न.ले.प.टि./2017-18/51 दिनांकित 02.01.2018 के द्वारा इस आशय से प्रेषित कर दी गई है कि इसकी अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, द्वितीय तल, "महालेखाकार भवन", कौलागढ़, आई.पी.ई., देहरादून-248 195** को प्रेषित कर दी जाय |

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय